एम०बी०बी०एस० और एम० डी० छात्रों पर दिया जाने वाला खर्च

3429. **श्री नागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी कालेजों में प्रत्येक एम०बी०बी०एस० और एम०डी० छात्र पर कितना खर्च किया जाता है;

(ख) इस खर्च का कितना भाग छात्र से वसूल किया जाता है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से कितने डाक्टर भारत से बाहर चले गए हैं; और

(घ) क्या सरकार सरकारी मेडिकल कालेजों से पढ़कर निकलने वाले डाक्टरों के लिए कुछ अवधि तक ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य बनाने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई) (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा चलाए गए एक अध्ययन के अनुसार सरकारी चिकित्सा कालेजों में स्नातक पूर्व स्तर पर चिकित्सा शिक्षा की लागत 74,000/- रुपये से 1.78 लाख रुपये और स्नातकोत्तर स्तर पर 71,000/-रुपये से 1.46 लाख रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष है। इन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से ली जा रही फीस बहुत ही कम है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान उच्च अध्ययनों/रेज़िडेंसी/प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने के लिए जिन डाक्टरों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है:—

1995	—	1734
1996	—	1583
1997	—	1529

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद ने निश्चय किया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पहले किसी विशिष्ट अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती को अनिवार्य और एक पूर्वापेक्षा बना दिया जाए।

एड्स के प्रसार में सिरिंजों की भूमिका

3430. **श्रीमती शबाना आजमी:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एड्स के प्रसार में इंजेक्शनों में प्रयुक्त होने वाली सिरिंजों की भी एक प्रमुख भूमिका है;

(ख) यदि नहीं तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में सिरिंजों की मांग उसके उत्पादन से तीन गुना ज्यादा है; और

(घ) यदि नहीं तो इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है तथा इसकी मांग और आपूर्ति में अंतर कम करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई) (क) जी नहीं। संक्रमित सुई एवं सिरिंजों से एच आई वी संक्रमण होने का खतरा मात्र 0.04 प्रतिशत है।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने एक्वायर्ड हास्पीटल इन्फेक्शन को नियन्त्रित करने जिसमें प्रयोग पूर्व सिरिंजों एवं सुइयों को विसंक्रमित करना शामिल है, के बारे में सभी अस्पातालों तथा स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं को दिशानिर्देश जारी किये हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Utilisation of Mahila Swastha Sangh for Rural Health Education

3431. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have held any discussions with the State Governments on the utilisation of Mahila Swastha Sangh for the rural health education programme; and

(b) if so, the proposals and the reaction of State Governments thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) and (b) The scheme of MSS has been in operation since 1991. The scheme envisages an organisation of community members of sensitising the people in their neighbourhood about maternal and child health issues and educating them about health and family welfare practices, facilities and programmes. Thus these organisations are primarily intended for dissemination of health education among the rural community.

The functioning of the scheme and the progress achieved are being reviewed and discussed in meetings with the State Family Welfare Secretaries and Directors of Family Welfare held by the Ministry from time to time.

Deficiencies in Bagalkot Dental College

3432. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to Starred Question 144 in Rajya Sabha on 5th June, 1998 and state:

(a) the details of deficiencies alongwith the agency which pointed them out in respect of Bagalkot Dental College;

(b) whether these have since been removed; and

(c) if so, whether the LOP has since been issued?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) The following deficiencies, as pointed out in the report of the Inspectors of the Dental Council of India in respect of PMNM Dental College, Bagalkot, have been communicated by the Central Govt. to the applicant on 31.12.1997;

(i) Shortage of 2 readers, 9 lecturers, 1 Asstt. Librarian, 3 Nurses, 12 dental Hygienists, 7 Dental Mechanics & 3 clerks.

(ii) Shortage of P.G. staff in the Department of Anatomy & Physology.

(iii) Non-furnishing of the registered deed of sale relating to possession of 5 acres of land on ownership basis.

(iv) Shortage of space for staff including non availability of separate rooms for professors.

(b) The applicant has sent the Compliance Report in June, 1998 which has since been forwarded to Dental Council of India for its comments.

(c) No. Sir.

कन्या भ्रूणहत्या

3433. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "सोनोग्राफी" तथा एमिनोसेन टेसिस जैसे परीक्षणों के बाद समूचे देश में कन्या भ्रूण हत्या भयावह रफ्तार से जारी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस संबंध में अभी तक कितने लोगों को दण्डित किया गया है तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) यह विदित है कि भारतीय समाज में पुत्र की प्रबल चाह कन्या भ्रूणों के गर्भपात का कारण है। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण हेतु चिकित्सा प्रौद्योगिकी आसानी से सुलभ होने से यह कार्य सरल हो गया है। चूंकि ये कार्य गुप्त एवं मिली भगत से होते हैं इसलिए कोई प्रामाणिक या सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कन्या भ्रूणहत्या के लिए दण्ड देने के किसी मामले की अभी तक सूचना नहीं मिली है। महाराष्ट्र में प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के उल्लंघन के लिए एक प्राईवेट नर्सिंगहोम के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।